भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1425

दिनांक 20.09.2020/29 भाद्रपद,1942 (शक) को उत्तर के लिए

ड्रोन हमले का खतरा

1425. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः

डॉ. संजीव कुमार शिंगरीः

श्री कुरुवा गोरांतला माधवः

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों पर ड्रोन को हमले के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंकाओं के मद्देनजर कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय बाजार में चीन निर्मित ड्रोन की बढ़ती बिक्री की जानकारी है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में कोई नियामक एजेंसी है जो देश में ड्रोन के उपयोग की निगरानी करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किशन रेड्डी)

(क) और (ख): देश में ड्रोन के खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श से किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

(ग) से (ङ): नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) देश में ड्रोन के प्रचालन को नियंत्रित करते हैं। डीजीसीए ने "सिविल रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट प्रणाली" के प्रचालन हेतु नागर विमानन संबंधी अपेक्षाओं को दिनांक 22.08.2018 को अधिसूचित किया था, जिसमें ड्रोन के आयात, बिक्री और प्रचालन के लिए मानदंड निर्धारित किये गये हैं।

*****